भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3854**
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

## ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुँच और डिजिटल अवसंरचना

3854. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड और डिजिटल कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इंटरनेट की कार्यशील सेवा और डिजिटल अवसंरचना से सुसज्जित ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है और इसका अनुपात क्या है;
(ग) क्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सभी पंचायतों में पूरी तरह से कार्यान्वित है और अन्य प्रमुख डेटाबेस के साथ एकीकृत है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पोर्टल के पूरी तरह से एकीकृत होने में कितना समय लगने की संभावना है; और
**(ङ)** क्या सरकार ने पंचायत स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता हेतु संसाधन आवंटित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

**(क) और (ख)** सरकार अपने डिजिटल इंडिया विज़न के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति की नियमित निगरानी की जा रही है।

ब्रॉडबैंड पहुँच में तेज़ी लाने के लिए, दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि देश भर की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड पर दिनांक 07.08.2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 2.69 लाख जीपी/टीएलबी में से, भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.18 लाख से अधिक तैयार सेवा बिंदु (सर्विस-रेडी पॉइंट) बनाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसमें भारतनेट के फेज-। और फेज-।। के तहत मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और शेष अछूते ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का विस्तार शामिल है। इस पहल के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक-।** में दिया गया है, जबकि ज़िला -वार डेटा भारतनेट पोर्टल (https://bbnl.nic.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। पंचायतों की पहुंच को आसान बनाने के लिए, सेवा के लिए तैयार क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर एक इंटरफेस भी उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंचायत-स्तरीय डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, 2.46 लाख ग्राम पंचायतें पहले ही अपनी जीपीडीपी अपलोड कर चुकी हैं और लगभग 2.05 लाख ग्राम पंचायतों ने इसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ₹19,000 करोड़ से अधिक की धनराशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है। ये विकास अंतिम छोर तक डिजिटल पहुँच में सुधार और जमीनी स्तर पर डिजिटल शासन को मज़बूत बनाने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

**(ग) और (घ)** ऑनलाइन योजना, बजट, लेखांकन और भुगतान को सक्षम बनाकर पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए देश भर की सभी ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल चालू कर दिया गया है। राज्यों को पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब तक, अधिकांश पंचायतें पंचायत के कामकाज से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए इस प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर की कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (GPDP) अपलोड कीं और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से 2.53 लाख ग्राम पंचायतों (**राज्यवार विवरण** अ**नुलग्नक -।। में दिया गया है।)** ने ₹61,000 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई।

पोर्टल को अन्य प्रमुख प्लेटफार्मों के साथ भी एकीकृत किया गया है, जैसे कि वास्तविक समय के वित्तीय लेनदेन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस

(जीईएम), इंटरनेट कनेक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए भारतनेट/बीएसएनएल और योजना लाभार्थी संबंधी जानकारी साझा करने के लिए अन्य मंत्रालयों के डेटाबेस।

मंत्रालय ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत डेटा प्रविष्टि और प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। फीडबैक के आधार पर निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें ई-ग्रामस्वराज में कार्यक्षमता उन्नयन और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

**(ङ)** जी हाँ, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर डिजिटल शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहल की हैं। हालाँकि ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत राज्यों को कोई प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) के माध्यम से संसाधन आवंटित किए जाते हैं। इनमें ई-ग्रामस्वराज जैसे ई-पंचायत एप्लीकेशनों के विकास, रखरखाव और संवर्धन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरजीएसए के अंतर्गत, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- ई-गवर्नेंस उपकरणों पर पंचायत पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण;
- हैंडहोल्डिंग और क्षेत्र-स्तरीय आईसीटी सहायता के लिए तकनीकी जनशक्ति;
- पंचायत कार्यालयों में आईटी अवसंरचना और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान;
- पंचायतों में डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं और आईईसी गतिविधियां।

इन उपायों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को नियोजन, निगरानी, लेखांकन और समग्र शासन कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है।

***

**अनुलग्नक-I**

**'ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुगमता और डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

**ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार सेवा बिंदुओं का राज्यवार विवरण।**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | तैयार सेवा बिंदुओं की संख्या * |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 70 | 81 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 13327 | 12972 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 1145 |
| 4 | असम | 2665 | 1634 |
| 5 | बिहार | 8054 | 8860 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 11623 | 9759 |
| 7 | गोवा | 191 | 0 |
| 8 | गुजरात | 14674 | 14563 |
| 9 | हरियाणा | 6225 | 6204 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 416 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 4291 | 1115 |
| 12 | झारखंड | 4345 | 4649 |
| 13 | कर्नाटक | 5948 | 6251 |
| 14 | केरल | 941 | 1130 |
| 15 | लद्दाख | 193 | 193 |
| 16 | लक्षद्वीप | 10 | 9 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 23011 | 18106 |
| 18 | महाराष्ट्र | 27952 | 24778 |
| 19 | मणिपुर | 3812 | 1485 |
| 20 | मेघालय | 6838 | 697 |
| 21 | मिजोरम | 843 | 539 |
| 22 | नागालैंड | 1315 | 236 |
| 23 | ओडिशा | 6794 | 7099 |
| 24 | पुदुचेरी | 108 | 101 |
| 25 | पंजाब | 13236 | 12807 |
| 26 | राजस्थान | 11193 | 8997 |
| 27 | सिक्किम | 199 | 54 |
| 28 | तमिलनाडु | 12525 | 10298 |
| 29 | तेलंगाना | 12860 | 10926 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 42 | 41 |
| 31 | त्रिपुरा | 1194 | 772 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 57691 | 47451 |
| 33 | उत्तराखंड | 7788 | 2021 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 2958 |
| | **कुल** | **269020** | **218347** |

*** डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया जाता है, और कुछ ग्राम पंचायतों में कई सेवा-तैयार बिंदु हो सकते हैं।**

**अनुलग्नक-II**

**'ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुगमता और डिजिटल अवसंरचना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल ग्राम पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल ब्लॉक पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें | जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | शामिल जिला पंचायत | ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13328 | 13320 | 13002 | 660 | 660 | 645 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 2108 | 426 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 11 |
| 3 | असम | 2662 | 2197 | 2183 | 191 | 191 | 191 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | बिहार | 8054 | 8054 | 8046 | 534 | 534 | 531 | 38 | 38 | 38 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11701 | 11684 | 11540 | 146 | 146 | 146 | 33 | 33 | 27 |
| 6 | गोवा | 191 | 191 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | गुजरात | 14656 | 14645 | 14006 | 248 | 248 | 248 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | हरियाणा | 6226 | 6226 | 5980 | 143 | 143 | 134 | 22 | 22 | 22 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 3615 | 3557 | 81 | 81 | 81 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | झारखंड | 4345 | 4345 | 4335 | 264 | 264 | 263 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | कर्नाटक | 5954 | 5954 | 5942 | 238 | 232 | 127 | 31 | 31 | 29 |
| 12 | केरल | 941 | 941 | 941 | 152 | 152 | 152 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23011 | 23011 | 22987 | 313 | 313 | 311 | 52 | 52 | 52 |
| 14 | महाराष्ट्र | 27955 | 27940 | 27025 | 351 | 351 | 312 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | मणिपुर | 3812 | 161 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 |
| 16 | मेघालय | 6817 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 842 | 842 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | नगालैंड | 1289 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ओडिशा | 6794 | 6794 | 6794 | 314 | 314 | 314 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | पंजाब | 13237 | 13234 | 10240 | 153 | 151 | 123 | 23 | 22 | 19 |
| 21 | राजस्थान | 11222 | 11219 | 10905 | 361 | 353 | 351 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | सिक्किम | 199 | 199 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | तमिलनाडु | 12525 | 12525 | 12520 | 388 | 388 | 388 | 36 | 36 | 36 |
| 24 | तेलंगाना | 12991 | 12768 | 12648 | 572 | 540 | 514 | 32 | 32 | 32 |
| 25 | त्रिपुरा | 1194 | 1194 | 1175 | 75 | 75 | 75 | 9 | 9 | 9 |
| 26 | उत्तराखंड | 7795 | 7795 | 7757 | 95 | 95 | 95 | 13 | 13 | 13 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 57691 | 57691 | 57638 | 826 | 826 | 819 | 75 | 75 | 75 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 3339 | 3339 | 345 | 345 | 345 | 22 | 21 | 21 |
| **कुल** | | **264494** | **252969** | **244235** | **8691** | **6402** | **6165** | **659** | **649** | **616** |